## प्रस्तावना

इस दस्तावेज में भारत विभिन्न हिस्सों के उन हजारों स्थानीय समूहों की आवाजें हैं, जो पिछले एक साल से बीजिंग की दिशा में तैयारी के अनेक प्रयासों में जुटे रहे हैं।

यह दस्तावेज एडवोकेसी (वकालत की) कार्यशाला में तैयार हुआ, जो कि न्यूयार्क के सी.एस.डब्ल्यू. प्रेप कोम में भाग लेने वाले संगठनों के लिए समन्वय इकाई द्वारा 23-25 फरवरी, 1995 के बीच आयोजित किया गया था।

हमें आशा है कि यह दस्तावेज प्रेप कोम की चल रही बहस को और आगे ले जायेगी और इसमें अपना योगदान देगी।

इसमें भाग लेने वाले संगठनों में वुमेन्स वॉयस (बंगलौर), सहयोग (उ.प्र.), उत्थान (गुजरात), नागा पिपुल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स (नागालैंड), अग्रगामी (उड़ीसा) तथा समन्वय इकाई शामिल है।

इस दस्तावेज का हिन्दी रूपांतरण सुबोध कुमार मिश्रा ने किया है।

*सुनीता धर*
समन्वय इकाई
नई दिल्ली

नई दिल्ली
9 मार्च, 1995

3319
6961
CON. B
JAGORI
C-54, South Extension-II
New Delhi-110 049
Tel.: 6427015
S.No.
4899
0205
CWMSB-B

# विषय-सूची


1. द ड्राफ्ट प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा की आलोचना 1

2. महिला : आजीविका, आर्थिक सामर्थ्य, विकासीय मॉडल, पर्यावरण 4

3. स्वास्थ्य एक मानवाधिकार है 7

4. शिक्षा तक पहुंच में गैर–बराबरी और अपर्याप्त अवसर 11

5. महिला : बंदोबस्त और विकास 12

6. हिंसा, अशांत परिस्थितियों (सशस्त्र तथा अन्य) के दौरान महिलाओं की स्थिति एवं महिलाओं का मानवाधिकार 13

7. महिला और राजनीति 15

8. महिला और जन–संचार माध्यम 17

9. महिलाओं के जीवन और उनकी जरूरतों के प्रति विज्ञान और प्रौद्योगिकी को और ज्यादा संवेदशील बमाएं 19

# द ड्राफ्ट प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा की आलोचना

द ड्राफ्ट प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के बड़े आड़े–तिरछे तरीके से महिलाओं का बखान किया गया है, जो महिलाओं को एक खास तरीके से देखता है। इसमें महिलाओं को वस्तु के रूप में तथा विकासीय सोच और कार्यक्रमों को ग्रहण करने वालों के तौर पर देखा जा रहा है। उन्हें इस समाज में अपनी ऐसी दुर्गति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिन्हें इस समाज में फिट करने के लिए निश्चित स्तर तक पहुंचाने की जरूरत समझी गई है।

ऐसा बोध एक खास सांसारिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इस दुनिया को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर गढ़े एक गांव के रूप में देखा जा रहा है। इरा भूमंडलीय नजरिए पर आधारित महिलाओं को सस्ते कामगारों के ऐसे विशाल जमघट के तौर पर देखा जा रहा है, जोकि पहले कभी नहीं पहचाने गये और साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं के तौर देखा जा रहे हैं, जिनकी जीवन शैली को दुनिया भर के बाजारों में फैलाने के लिए उसी अनुरूप तराशा जाना जरूरी है, सिर्फ कुछ ही लोगों का हित साधने के लिए। उन्हें आदर्श उपभोक्ता बनाना है, तभी तो उन्हें सशक्ता पहुंचाने जैसे दिखने वाले उत्पादों की एक श्रृंखला से कुछ भी चुन लेने का अधिकार सौंप दिया गया है। इस दस्तावेज में कहीं भी उन्हें कर्ज, गरीबी, निरक्षरता, हिंसा इत्यादि से उनकी मुक्ति सुनिश्चित करने के विकल्प नहीं दिये गये हैं।

गरीबी और गरीबों को सामाजिक प्रगति में बाधक समझा जा रहा है। जबकि उनके दुर्भाग्य को बदला जाना है और उनकी गरीबी भी दूर की जानी है, लेकिन इसमें कहीं भी गरीबी के ढांचागत कारणों को बताने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। गरीबी को तो बस खरीदने की हैसियत और गरीबों, खासकर महिलाओं की उत्पादक क्षमताओं के संबंध में रखा गया है।

इस दस्तावेज में हर जगह महिलाओं का गरीब होने और उनकी कुशलताओं को बढ़ाकर उन्हें गरीबी के इस दुश्चक्र से बाहर निकालने की जरूरत की बात कही गई है। जबकि प्राकृतिक संसाधनों को चिरंतर बनाने में महिलाओं के आर्थिक योगदानों, जैसे : खेतिहर मजदूरों, असंगठित क्षेत्र की दिहाड़ी के कामगारों को इस संकल्पनात्मक रूपरेखा में कोई स्थान ही नहीं दिया गया है, जिसकी बुनियाद का इस दस्तावेज में वादा है। इस दस्तावेज में इन सच्चाइयों को अनदेखा करते हुए महिलाओं की हैसियत की मान्यता ही खत्म कर दी गई है, और उसे सस्ता बना दिया गया है। उनके श्रम की कीमत को भी कोई अहमियत नहीं दी गई हैं।

शांति और समानता लाने के प्रति बरसों की प्रतिबद्धता के बावजूद भी अमीर–गरीब, पुरूष–महिला के बीच की खाई और बढ़ी है तथा जाति–समूहों के बढ़ते तनावों और बढ़ती धार्मिक कट्टरवादिता से धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं के तेवर बदले हैं। झगड़ों की यह बढ़त संसाधनों और अवसरों के खत्म होते जाने के कारण हुई है, और साथ ही सत्ता के केन्द्रीयकरण के कारण भी। जातीय, प्रजातीय और धार्मिक अलगावों के बीच आपस में शांतिपूर्वक रहने और आपसी सम्मान के आधार के बहुलावादी और विविधता के सिद्धांतों को दुनिया के एकीकरण के प्रयास में रौंदा जा रहा है।

देशज समुदायों पर विदेशी जीवन पद्धतियों और नजरियों को थोपने से इन लोगों की सांस्कृतिक महिमा और ऐतिहासिकता की पहचान मटियामेट होगी और अंततः ये नष्ट हो जायेंगे। इन्हें वैचारिक और भैतिक संसाधनों के उपभोक्ताओं के तौर पर बाजार के अनुरूप ढाला जा रहा है, जैसे सस्ते श्रग और विशेष आरक्षणों के तौर पर शिल्पकृतियों के तौर पर।

महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों को सुरक्षावादी दृष्टि से देखा जा रहा है। हिंसा और झगड़ों की ढांचागत और व्यवस्थित प्रकृति और उनके कारणों का न तो विश्लेषण किया गया है और न ही इन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक शासन से जोड़कर देखा गया है। इसके बदले महिलाओं को हिंसा के शिकार के तौर पर देखा जाता है। महिलाओं की विभिन्न स्तरों पर हिंसा के घाव सुखाने की अदम्य योग्यता के झगड़ों के समाधान के क्षेत्र में पिरोया जा रहा है। मजे की बात तो यह है कि महिलाओं को झगड़े के समाधान के साथ जोड़ने के लिए सैन्य बलों और इसी तरह

की दूसरी सेवाओं में उनकी संख्या बढ़ाने के आह्वान से उन्हें बांधा जा रहा है। लेकिन, उनके इस हस्तक्षेप को तभी आमंत्रित किया जाता है जब कोई हिंसा व्यक्तिगत क्षेत्र या राजसत्ता के खिलाफ हो रही हो, उस समय नहीं जब मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता साफ तौर पर सिद्ध हो रही है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, धार्मिक रीति–रिवाजों और परम्परावादी मूल्यों, जोकि महिलाओं के प्रति पक्षपात से भरी हैं, के विचारों को अधिकारों की सार्वभौमिकता दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

जेंडर–समानता के संदर्भ में जेंडर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के भार को अकेले महिलाओं पर ही लादा जा रहा है और जेंडर राजनीति को तो संबोधित ही नहीं किया जा रहा है। जेंडर बराबरी को समाज की सभी समस्याओं के जवाब में देखा जा रहा है। अधीनस्थ जेंडर भूमिकाओं और रिश्तों की ऐतिहासिकता की राजनीति को नरम कर दिया गया है। वित्त, व्यापार, विकास की लागत के सैन्य परिसरों के फैलाव, परमाणविक राजनीति इत्यादि के मुद्दों पर महिलाओं के नजरिए को नहीं रखा जा रहा है।

राजनैतिक सशक्तता के क्षेत्र में महिलाओं को अनेकों खेलों के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीति की प्रकृति और सार को बदलने की प्रतिबद्धता को नहीं व्यक्त किया गया है। नीति नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में महिलाओं की कारगर सहभागिता के प्रति चुप्पी साध ली गई है।

इस प्रकार महिलाएं जिन संघर्षों से गुजरती रही हैं और समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने जो विकल्प तैयार किये हैं, एक ओर तो उनकी उपेक्षा की गई है वहीं दूसरी ओर इस आंदोलन की भाषा भी बदली जा रही है।

अमल की धारा सोच–समझ की इन उलझनों को दर्शाती है। इन प्रतिबद्धताओं और तरीकों को बड़े अप्रभावी तरीके से समझा गया है। निजी क्षेत्र, जो खुद ही महिलाओं के अधिकारों का उल्लंधन करता है, को महिलाओं के विकास में परिवर्तन करने वाले साथी के तौर पर एक बड़ी भूमिका दी जा रही है। कार्यवाही योजना में इस बात की अपूर्ण व्याख्या की गई है कि पिछले 20 वर्षों में महिलाओं के अधिकार को उभारा क्यों नहीं गया, यही नहीं इसे प्रदर्शित भी नहीं किया गया है।

यह ड्राफ्ट प्लेटफॉर्म महिलाओं की स्थिति को एक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखता है। विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के बीच की कड़ियों को समझने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया गया है जिसके चलते अपूर्ण विश्लेषण और कार्यवाही की आधी–अधूरी योजना बनी है। कुल मिलाकर, इस प्रारूप में निरंतर रूप से पितृसत्तात्मक और पूंजीवादी मूल्यों और मापदण्डों को फिर से तैयार किया गया है। **सही मायनों में तो इस तरह की सशक्तता अपने लक्ष्य से कोसों दूर है, यदि यही कार्यवाही का मूल आधार रहा, तो।**

## सिफारिशें : इस अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा की

***विकास के वैकल्पिक विज़न महिलाओं के नजरिए से ही उभरते हैं, जो कंगाल और हाशिए पर है; जो अभी तक चुप हैं और जिनकी आवाजों और जिनके नजरियों पर इस दस्तावेज में कोई विचार नहीं किया गया है :***

- महिलाएं गरीब नहीं हैं, बल्कि गरीबी से त्रस्त है।
- जेंडर–बराबरी, चिरंतर विकास और शांति के सिद्धांतों पर आधारित विश्व व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता बनाई जाए। एक ऐसे समाज को खड़ा किया जाए, जहां महिलाओं का अपने उत्पादक, पुनर्जनन प्रक्रियाओं और अपनी शारीरिक व मानसिक बेहतरी पर नियंत्रण हो।
- यद्यपि अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाया जाना और उसका दर्ज विकास किया जाना जरूरी है, लेकिन किसी भी हालत में यह प्राकृतिक और मानव संसाधनों को खत्म करने की दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए। यह महिलाओं की आजीविका की सुरक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि महिलाओं के काम के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसकी गणना हो रही है। प्रौद्योगिकी का उपयोग महिलाओं को कठिन श्रम से उबारने में होना चाहिए, न कि उन्हें उनके काम के मौजूदा क्षेत्रों से विस्थापित करने के लिए और न ही उन्हें कुशलता और अर्द्ध–कुशलता की सीढ़ी से नीचे धकेलकर गैर–कुशल कामगार बनाने के लिए।
- राज्य पर जनता और बाजार के सामने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जिम्मेदारी है। राज्य खाने की सुरक्षा, हिंसा से मुक्ति, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित

कराने की अपनी भूमिका से मुंह नहीं मोड़ सकता है। इसे संसाधनों के बराबर वितरण, रोजगार की सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी और जीने के सम्मानित स्तर को सुनिश्चित करना ही होगा। बुनियादी जरूरतों को महिलाओं के बुनियादी अधिकारों के तौर पर देखा जाना चाहिए।

- राजसत्ता को निजीकरण के शिकंजे में नहीं फंसना चाहिए, जहां गरीब महिलाओं के एक बड़े तादाद की सामूहिक संसाधनों तक पहुंच घटी है, जोकि उनकी अतिजीविता की बुनियादी जरूरतें हैं, खासकर जमीन के हक को लेकर। इसके लिए राजसत्ता के चरित्र में तब्दीली लानी होगी।
- बाजार को जन–मुखी होना चाहिए और उसे निर्दयता के लाभोन्मुखी रास्ते से हटाया जाना चाहिए। बाजार को समाज के सभी संस्थानों में घुसने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और न ही "बेकार संभरण" के नाम पर इसे "उपभोक्ता की प्रभुसत्ता" को निर्धारित करने की इजाजत होनी चाहिए। महिलाओं ने सहकारिता के प्रयासों के जरिए स्थानीय बाजारों पर अपना नियंत्रण जमा लिया है, यद्यपि पुरूष इसमें अपना आधिपत्य जमाने के लिए बढ़े हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और टी.एन.सी के हाथों मलकियत के बदलते प्रतिमानों से पूंजी का उल्टा प्रवाह होने लगा है। महिलाओं के देशज ज्ञान और संसाधनों को हड़पा जा रहा है और फिर से डब्बे में डाला जा रहा है, इस प्रकार उन्हें नवीनीकरण व उत्पत्तियों पर अपनी मलकियत और अपने नियंत्रण से उखाड़ फेंका जा रहा है। बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के नाम पर महिलाओं के अनुभवों और परम्परागत ज्ञान, जोकि मौखिक रूप से तो उनसे ले ही लिये गये हैं, को उनसे छीना नहीं जाना चाहिए।
- चूंकि महिलाओं की बाजार में सहभागिता बढ़ रही है, अतः परिवार जैसे सामाजिक संस्थाओं को बदला जाना जरूरी है। परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ महिलाओं पर से हटाया जाना जरूरी है और पुरूषों को और ज्यादा जिम्मेदारियां उठाने की जरूरत है। राजसत्ता कल्याणकारी भूमिकाओं का अपना लबादा उतारने के लिए महिलाओं पर और बोझा डाल रही है।
- अब समय आ गया है कि जब महिलाएं विकास, शासन और मानव सुरक्षा तथा कल्याण को फिर से परिभाषित करें। महिलाओं को न केवल अपने–अपने राष्ट्रों के भीतर ही चुनौती देनी होगी और सामना करना होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी से भी जूझना होगा जो वर्ल्ड बैंक, आई.एम.एफ, डब्ल्यू.टी.ओ. जैसे शक्तिशाली संस्थाओं के जरिए परिचालन में हैं।
- आज ऐसे आर्थिक और सामाजिक योगदानों को मान्यता देने और उसकी कीमत समझने के प्रति प्रतिबद्धता की जरूरत है, जिसे अकेली महिला परिवार, समुदाय और समाज में देती है।

# महिला : आजीविका, आर्थिक सामर्थ्य, विकासीय मॉडल, पर्यावरण

**महिलाओं पर गरीबी का चिरस्थाई और बढ़ता बोझ तथा आर्थिक ढांचों तक महिलाओं की पहुंच और सहभागिता में गैर-बराबरी।**

**प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध में महिलाओं के योगदानों की अपर्याप्त मान्यता और समर्थन का अभाव**

## आलोचना

द ड्राफ्ट प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन में, उन कारणों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है, जो महिलाओं में गरीबी बने रहने और उसका बोझ बढ़ते चले जाने के लिए जिम्मेदार हैं और न इसमें उन ताकतों का ही जिक्र मिलता है, जो बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय विनाश के लिए जिम्मेदार हैं, जिनसे मानव जाति, खासकर महिलाओं पर कहर बरपा है।

हमारा मानना है कि जब तक इन मुद्दों को ईमानदारी से संबोधित करने के प्रयास नहीं किये जायेंगे, तब तक किसी भी कार्यवाही से महिलाओं की सशक्तता नहीं बन पायेगी, बल्कि ये सतही प्रयास ही होंगे, जो आज की दुनिया में घर कर गई है।

हमारा मानना है कि महिला और पुरूष, देश के विभिन्न तबकों के बीच और विभिन्न देशों के बीच संसाधनों के असमान वितरण और उस पर विकास के बाजार केंद्रित विकास उन्मुखी मॉडल से पर्यावरणीय बर्बादी, विस्थापन, आजीविकाओं का ह्रास और 'दक्षिण' से 'उत्तर' की ओर संसाधनों का तबादला, राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच हुआ है।

आर्थिक नीतियों का कहर गरीबतम तबकों पर ही बरपा है, खासकर महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा। निजीकरण और निर्यात उन्मुखी औद्योगिकरण के प्रोत्साहन से दोहक उद्योगों का विकास हुआ है और इसी से ही कृषि भूमि और जंगलातों का बागान, औद्योगिक जायदादों, पर्यटक स्थलों और जागीर उप–विभागों में रूपांतरण हुआ है। जबकि इसका फायदा निजी मलकियत, खासकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निचुड़ रहा है, लेकिन समाज और पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक परिणामों के लिए कोई दावा नहीं है।

विकास के उत्पादन प्रेरित मॉडल से समाज के मौजूदा पितृसत्तात्मक मूल्यों को भी और गति मिली है, जिससे महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा कहर बरपा है। महिलाओं में, खासकर आर्थिक रूप से दरिद्र क्षेत्रों की महिलाओं, विस्थापित और शरणार्थी महिलाओं, आदिवासी और दलित महिलाओं, घर की आजीविका चलाने वाली महिलाओं और शहरी झोपड़–पट्टियों में बसर कर रही महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा गाज गिरी है।

हमने पाया है कि पूरी दुनिया भर में, खासकर एशियाई क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय और लिंग के बंटवारे से महिला श्रमिकों पर ही कहर बरपा है, परिवार और रोजगार के बाजार, दोनों ही जगह। दोनों ही संदर्भों में महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं और उनके योगदानों को, चाहे मंजूरी की हो या गैर–मंजूरी की, उसे नियोजकों और समाज द्वारा मुद्रा और सामाजिक मायनों में कोई मान्यता नहीं दी गई है।

हमने पाया कि श्रम बाजार में श्रमिकों के लिंग के आधार के बंटवारे से काफी तादाद में महिलाएं अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में फेंक दी गई है, जहां वे कानूनी रूप से असुरक्षित और अस्थिर हैं।

- महिलाओं को निचले स्तर की कुशलताओं, काम के निचले स्तर के भुगतान तक सिमटा देने से और औपचारिक शिक्षा और उनकी कुशलताओं को बढ़ाने वाले वोकेशनल प्रशिक्षण के अवसरों को सिकोड़ देने से वे अगले चरण के लिए उत्तीर्ण नहीं हो पाती हैं और न ही नौकरियों में आगे बढ़ पाती हैं और न ऊंचे वेतन ही पा पाती हैं।
- मौजूदा ट्रेड यूनियन और सहकारी आंदोलनों से वे हाशिए पर ही आई हैं।
- महिलाओं का कर्ज और आर्थिक प्रोत्साहनों तक पहुंच और उस पर नियंत्रण में कमी आ रही है।
- आर्थिक ढांचों और नीतियों की परिभाषा से उनका निष्कासन।

अब जबकि हम 21 वीं सदी की दहलीज पर आ पहुंचे हैं, ऐसे में लाखों–करोड़ों लोग बुनियादी जरूरतों,

साथ ही खाने की सुरक्षा, स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल, रोजगार, बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक पहुंच जैसी जरूरतों से वंचित होते जा रहे हैं।

## सिफारिशें

अतः हम आर्थिक विकास की उस संकल्पना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिससे उपभोगवाद और भौतिकवाद के लिए होड़ मची हुई है और हम उसकी समीक्षा का आह्वान भी करते हैं। धीरे–धीरे अब यह मान्यता उभरने लगी है कि जरूरी नहीं कि आर्थिक विकास से मानव का विकास हो ही। महिलाएं, जो सामाजिक रूप से उत्पादक और प्रजनन जैसी बड़ी भूमिकाएं निभा रही हैं, वे ही विकास के ऐसे वैकल्पिक मॉडल को उभार सकती हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय संगत और समतामूलक हैं।

हम एक ऐसे समाज का सपना (विज़न) लेकर चल रहे हैं, जहां का विकास जन–केन्द्रित है और जिसमें लैंगिक–बराबरी, सामाजिक और आर्थिक न्याय, सभी स्तरों के निर्णय में आम जनता, खासकर महिलाओं की सहभागिता, सांस्कृतिक बाहुल्य और परिस्थितिकीय संतुलन के उसूलों को आर्थिक विकास से ज्यादा तवज्जु दी जा रही हो।

***हम सभी देशों से आह्वान करते हैं कि वे........***

1. विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी उधार देने वाली एजेंसियों के काम पर फिर से नजर दौड़ाएं और उनकी समीक्षा करें, ताकि वे कर्ज देने की शर्तों के तौर पर ढांचागत समायोजन कार्यक्रमों पर अपनी मनमानी न करें।
2. विकास प्रेरित नीतियों के मौजूदा दबावों के मुख को मानव विकास की ओर मोड़ें, जिसमें लोगों, खासकर महिलाओं को इन सभी नीतियों के केन्द्र में लाएं।
3. बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा आनुवंशिक संसाधनों के पेटेंटकीरण पर पाबंदी लगाएं।
4. अनुचित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलनों से दक्षिण एशियाई देशों (जो प्राथमिक संसाधनों के धनी हैं) की अर्थव्यवस्थाओं को बचाएं।
5. लंगड़ा कर देने वाले कर्ज़ के बोझ को रद्द करें और संसाधनों का उपयोग सामाजिक विकास के लिए करें।
6. ऐसे कानूनों को पारित करें, जिससे ग्रामीण समुदाय के संसाधन निजी क्षेत्रों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में जाने से बचें।
7. शस्त्रों के खर्च में कटौती करें।
8. सामाजिक क्षेत्र के खर्च को बढ़ाएं।
9. राज्यों की सुरक्षा के बजाय मानव सुरक्षा की दिशा में राजनैतिक और नैतिक कटिबद्धता बनाएं।

   ***मानव सुरक्षा की बुनियादों में शामिल हैं :***

   - खाने की सुरक्षा का अधिकार।
   - स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल का अधिकार।
   - काम करने और रोजगार पाने का अधिकार।
   - बुनियादी स्वास्थ्य एंव शिक्षा का अधिकार।
10. यह सुनिश्चित करें कि निर्यात अभिमुखीकरण उपयोग की घरेलू जरूरतों की कीमत पर न हों, खासकर बुनियादी अनाजों, जमीन उपयोग और देशज उद्योगों के कच्चे माल की कीमत पर न हो।
11. ऐसे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और बाजारों की विकसित करें, जो सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के अलावा रोजगार पैदा करे और गरीबी दूर करे।
12. गरीबी दूर करने की उन नीतियों और कार्यक्रमों को फिर से गढ़ें, जो गरीब समुदायों की अतिजीवितता के संदर्भ में महिलाओं की जरूरतों और चिंताओं की बुनियाद पर खड़ी हो।
13. महिलाओं की उत्पादक और सामाजिक प्रजनन की भूमिकाओं को मान्यता दें और समाज को उनकी इन भूमिकाओं के प्रति संवेदनशील बनाएं।
14. आर्थिक वित्तीय और कर्ज संस्थाओं के संबंध में सभी स्तरों की योजनाओं और उनके निर्णयों में महिलाओं को जोड़ने के सभी संभव प्रयास करें।
15. महिलाओं को उत्पादक संसाधनों तक पहुंच बनाने और उन पर अपना नियंत्रण जमाने में समर्थ बनाएं।
16. ऐसे कानूनों को पारित करें, जिससे महिलाएं संपत्ति और विरासत के अधिकारों से सुसज्जित हो सकें।
17. स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर आर्थिक और विकासीय नियोजन और ढांचों का विकेन्द्रीकरण करें और नौकरशाही को खत्म करें।
18. महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए महिलाओं के अनौपचारिक समूहों को मान्यता दें।
19. विकासीय योजनाओं को पारित करने से पहले 'जेंडर–ऑडिट' और पर्यावरणीय ऑडिट की जरूरी शर्त बनाएं।

20. जनगणना में और सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) की गणना में महिलाओं के काम के भुगतान और बिना भुगतान को डालें।
21. घर के भीतर लैंगिक श्रम विभाजन पर सवाल उठाएं और घरेलू काम और बच्चों की देखरेख में पुरूषों की भागेदारी को प्रोत्साहित करें।
22. नौकरियों के लिए महिलाओं को शिक्षा और कुशल बनाने के प्रशिक्षण मुहैया कराएं और उनमें गैर–परम्परागत कुशलताएं जगाने के लिए वोकेशनल कोर्स कराएं।
23. संगठित क्षेत्र के कामगारों को दिये जाने वाली कानूनी सुरक्षा के दायरे को सभी कामगारों के लिए जरूरी बनाएं, चाहे कामगार अनियमित तौर पर हों, ठेके पर हों या अंशकालिक हों।
24. न्यूनतम मजदूरी की गांरटी दें।
25. समान कामों और तुलनात्मक कामों में महिला और पुरूषों को बराबर भुगतान मुहैया कराएं।
26. स्वयं–रोजगार करने वाली महिलाओं और घरेलू कामगारों को मान्यता दें।
27. अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं और दूसरे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराएं, जिनमें स्वास्थ्य की देखरेख, बच्चे की देखरेख, व्यवसायिक जोखिमों का मुआवजा, बीमा और गर्भवती के लाभ शामिल हैं।
28. चिंरतर कृषि को प्रोत्साहित करें।
29. जैव–विविधता को बरकरार रखें और एक धान्य कृषि के फैलाव को रोकें।
30. मौजूदा तकनीकियों का पुनर्मूल्यांकन करें और सभी स्तरों पर महिलाओं के साथ सलाह–मशविरा करके समुचित प्रौद्योगिकी को विकसित करें।
31. काम की सुरक्षा की दिशा में कड़ी मेहनत से सुरक्षित रखने वाली प्रौद्योगिकी को लायें।
32. बीज बैंकों को खड़ा करें और कृषि एंव पौध के स्थानीय किस्मों की विकसित करें।
33. ईंधन और चारे तक पहुंच सुनिश्चित करें।
34. पारिस्थितिकीय और जड़ी–बूटियों एवं औषध पौधों का संरक्षण करें।
35. यह मान्यता दें कि जंगल और जल संसाधन सामूहिक संसाधन हैं और इनकी सुरक्षा में महिलाओं की ही एक बड़ी भूमिका है।
36. पशुपालन और पशु कृषि कर्म।

# स्वास्थ्य एक मानवाधिकार है

## स्वास्थ्य स्थिति में असमानता और स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच तथा अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं

### आलोचना

हर महिला को अपने पूरे जीवन के हरेक अवस्था में उसी अनुरूप बुनियादी स्वास्थ्य की देखरेख का अधिकार है। उसकी बीमारी के नकारात्मक लागत निर्धारण या उत्पादक तथा प्रजनन प्रक्रिया में उसकी कुशलताओं की जरूरत कोई चिंता से परे की चीज नहीं है, जैसा कि बाजार अर्थव्यवस्था में परिभाषित किया गया है, बल्कि ये बातें तो उसके स्वस्थ होने की योग्यताएं होनी चाहिए। **किसी भी महिला का स्वास्थ्य ही उसका मानवाधिकार है।**

महिलाओं के बिगड़े स्वास्थ्य के कारण शर्तिया ही उनकी आर्थिक और सामाजिक सच्चाईयों की जड़ों में हैं। बेइंतहा गरीबी और उसपर और उसके परिवार पर अतिजीविता के भारी बोझ के फलस्वरूप काम की अधिकता, अल्प पोषण और दबाव ही ऐसे प्रमुख कारण हैं, जिसके चलते अधिकांश महिलाएं बीमार होती हैं और बीमारी में घुट–घुट कर जीती हैं।

इसके अलावा आमतौर पर उन पर पितृसत्तात्मक ढांचों द्वारा परिभाषित असमानता के सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की समस्या भी बनी रहती है, जिसके चलते उसका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं होता है और परिवार, समुदाय और समाज के सभी स्तरों पर वह बराबरी के बर्ताव से भी उपेक्षित बनी रहती है।

महिलाओं के स्वास्थ्य के आंकलन में सिर्फ मातृत्व मौत और विकृति के संकेतों पर निर्भर होकर चलना कुछ अटपटा सा लगता है। यद्यपि किसी देश या समाज में ये महिलाओं के स्वास्थ्य की गिरी दशा के भले ही महत्वपूर्ण संकेत हों, लेकिन उन विभिन्न विकृतियों के प्रकार की उपेक्षा करना खतरनाक है, जिसे वे अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं, शिशु, बालिका की अवस्था में झेलती चलती हैं। यही वे दशाएं हैं, जिससे वे बीमार पड़ती रहती हैं और जब उन पर बच्चा जनने और उसे पालने का बोझ बढ़ता है, तब वे मर भी जाती हैं। अतः महिलाओं के बिगड़े स्वास्थ्य के गहरे कारणों को रेखांकित किये बिना सिर्फ उनके लक्षणों को ही लेकर चलना मूर्खता है।

अधिकांश हिस्सों में, तीसरी दुनिया की ही गरीब महिलाएं ऐसी हैं, जो बिना स्वच्छ पेयजल के अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में जीने का कष्ट भोग रही हैं। बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाओं के अभाव, खाद्य आपूर्ति की डांवाडोल स्थिति और सुरक्षित आजीविका की उपेक्षा के फलस्वरूप गरीबों, खासकर महिलाओं में कुपोषण हो जाता है। इसके चलते मौतें होती रहती हैं और कई रोग हो जाते हैं, जिनमें एस.टी.डी. और एच.आई.वी. के अलावा खून की कमी, गर्भाशय एवं प्रसूति गड़बड़ियां और मानसिक विकार हो जाते हैं तथा छूआछूत के रोग लग जाते हैं। इन दो तरह के संकेतों के सेट से जुड़े विकारों पर व्यवस्थित तौर पर सांख्यिकीय गणना नहीं की गई है।

दुर्भाग्यवश, तीसरी दुनिया के अधिकतर देशों में स्वास्थ्य इस मान्यता को नकारती है कि स्वास्थ्य कीटाणुओं, चोट या शारीरिक विकृतियों और अपंगता या आदतों और व्यवहार के पैटर्न से ही नहीं बिगड़ता है। इस मॉडल में आगे उस नजरिए को प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य को अलग–अलग टुकड़ों में बांट दिया गया है। उदाहरण के लिए, प्रजनन स्वास्थ्य; हृदय की बीमारियां; कैंसर; उष्ण प्रदेशीय बीमारियां; पर्यावरण से जुड़ी बीमारियां; व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम, इत्यादि। इससे हम विशिष्ट कार्यवाही के दृष्टिकोण के लिए आतुर हुए हैं, बजाय इसके कि इसे समग्रता के साथ, बुनियादी चिंताओं को संबोधित किया जाता है।

जब महिलाएं बीमार होती हैं, तो उनमें से शायद ही कोई ऐसी खुशनसीब हो, जिसकी उनके लिए खड़ी की गई स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं तक पहुंच बन पाती हो। तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में ये सेवाएं एलोपैथिक व्यवस्था के अनुरूप ढाली गई हैं, जिसमें सेवाएं मुहैया कराने वालों का ही नियंत्रण रहता है।

कई वर्षों से भारत जैसे कई विकासशील देशों में ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था निजीकरण, कंपनियों और केन्द्रीयकरण की दिशा में ही बढ़ी हैं। इससे पहुंच बनाने में बड़ी बाधाएं खड़ी हुईं, क्योंकि अधिकांश महिलाओं के पास न तो खरीदने की ताकत है और न इसे जुटा पाने की।

ऐसी एक व्यवस्था पर ही ज्यादा जोर दिये जाने और राजसत्ता के सहयोग के अभाव में स्वास्थ्य की देशज व्यवस्था के उस ज्ञान और चलन का बड़े व्यवस्थित ढंग से अंत होता गया, जिनपर महिलाओं का ही ज्यादा नियंत्रण था। वे नीतियां जिनसे जमीन के तबादले, उपयोग और रूपांतरण पर असर पड़ा, उससे जंगलात विलीन होते गये, फलस्वरूप देशज औषध पौधे के भंडार गायब होते चले गये, जोकि आज बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं। दूसरी ओर, अंग्रेजी दवाईयों की नीतियों से एलोपैथिक दवाईयों की उपलब्धता को प्रोत्साहन मिला है, जो बाजार में झोंके गये और लोग इनके मंहगे दाम होने के बावजूद भी इनका उपयोग करने के लिए बाध्य हैं।

बुनियादी स्वास्थ्य की देखरेख के तौर की आत्मनिर्भरता के केन्द्रीकृत और अतार्किक दवाईयों के उत्पादन और वितरण का रास्ता खुला, जिसके फलस्वरूप उपयोगी स्थानीय परंपरागत और देशज चलनों और इलाजों का खात्मा हो रहा है। महिलाओं के ये परम्परागत इलाज अब लाभ कमाने वाली व्यापारिक कंपनियों में समाते जा रहे हैं, जो इनका पेटेंटीकरण करने पर तुले हुए हैं, ताकि ये परम्परागत इलाज उन समुदायों को महंगे दामों में बिक सकें, जहां से उन्होंने इसे इजाद किया हुआ पाया था।

***मौजूदा पितृसत्तात्मक और बाजार में रूपांतरित विश्व व्यवस्था ने लाखों-करोड़ों महिलाओं के स्वास्थ्य को नकारा है, इसके पीछे बहुत से दूसरे बुनियादी कारण हैं...***

(अ) घर एवं कार्यस्थल में महिलाओं पर व्यवस्थित तौर की हिंसा और राजनैतिक एंव जातीय झगड़ों से उपजी वीभत्स स्थितियों से महिलाओं की शारीरिक, मानसिक और प्रजनन बेहतरी पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। झगड़े में हथियार के तौर पर महिलाओं के साथ बलात्कार और यातना से महिलाओं का स्वास्थ्य और उनके जीवन की बड़ी तेजी से बर्बादी हो रही है, क्योंकि महिलाओं की बिगड़ती स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है।

(ब) एक ओर पर्यटन विकास और बाजार के प्रसार के नाम पर फैलाव और दूसरी ओर महिलाओं के निचले आर्थिक स्तर के चलते कई महिलाएं असुरक्षित और गंदी परिस्थितियों में वेश्यावृति और वासनाओं की शिकार हो रही हैं, जहां से उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी महिलाओं के स्वास्थ्य के स्तर पर शायद ही किसी को परवाह हो, यहां तक कि उन्हें समाज में स्वास्थ्य के लिए खतरा पनपाने वालों के तौर पर देखा जा रहा है।

स्वाभाविक है कि केन्द्रीकरण, महंगी, प्रतिस्पर्धात्मक और विदेशी स्वास्थ्य व्यवस्था यहां की जानकारी उड़ाकर और गलत-सलत जानकारी से यहां से थोपी जा रही हैं। समाज के गैर-पढ़े लिखे तबकों, खासकर महिलाओं को इसका निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें अपने परिवार और कुछ हद तक खुद के लिए इन दवाईयों के मुख्य उपभोक्ताओं के तौर पर इसका निशाना बनाया जा रहा है।

सभी स्तरों पर स्वास्थ्य शिक्षा फैलाने, घर में पुरूषों पर ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपने, आयरन की कमी को दूर करने, वगैरह को प्रोत्साहन देने से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य पर पश्चिमी प्रभावी नजरिए स्थिर चित, उदासीन और टूटे हुए दृष्टिकोणों को लेकर चल रहे हैं। इसमें कहीं भी अतिजीविताओं की सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण, स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के विकास और उन्हें जनता के नियंत्रण में लाने जैसे बुनियादी मुद्दों को उठाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखरेख के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोणों के हिस्से के तौर पर बुनियादी खाने की आपूर्ति, पेयजल, आश्रय और साफ-सफाई सुनिश्चित कराने के अलावा महिलाओं को राजनैतिक और सामाजिक विधियों से सशक्त बनाने के लिए समग्रता से कुछ भी क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।

प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिला और पुरूष के लिए सुरक्षित गर्भ निरोधक के शोध, उत्पादन और वितरण पर कोई पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गर्भनिरोधकों का बाजार आसमान छू रहा है और इसीलिए कारपोरेट की दुनिया बड़ी निर्दयता से कई राज्यों में जन्मों को रोकने की नीतियों पर अपना कब्जा जमाए हुए है, जिससे उन्हें लाभ मिलता रहे, **उन्हें इसकी क्या परवाह कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर हो रहा है।**

खासकर, गरीब विकासशील देशों की महिलाओं के प्रमुख जोखिमों के तौर पर खतरनाक गर्भनिरोधकों के उत्पादन और शोध पर नियंत्रण रखने और उसकी निगरानी करने के लिए न तो कोई संयोजन हुआ है और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज ही तैयार किया गया है।

इन्हें इन देशों में बिना कोई सावधानी बरते और बिना यहां के लोगों को इसके खतरों के बारे में सचेत किये झोंका जा रहा है।

महिलाओं के स्वास्थ्य पर गलत असर डालने वाले इन कारणों को 'एकमुश्त छलांग' से और तूल दिया जा रहा है, जिसे तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में रखने पर विचार हो रहा है। आर्थिक विकास के उदारीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण और अनियंत्रण से सामाजिक क्षेत्रों पर ही कहर बरपेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं। सभी स्वास्थ्य के क्षेत्रों को बाजारू ताकतों के लिए खुला छोड़ने और इन क्षेत्रों में राजसत्ता की जिम्मेदारियों को घटाने से समाज के मोहताज तबकों और महिलाओं को ही बड़ा आघात पहुंचेगा।

जनसंख्या आंकड़ों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय रवैये, खासकर विकासशील देशों के प्रति बर्ताव से बच्चा जनने की संभावना के नियंत्रण को लेकर कई राष्ट्रों की नीतियों पर असर पड़ा है। वे महिलाएं जो आमतौर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तौर पर सबसे निचली सीढ़ी पर हैं, उन पर ही इस नियंत्रण का कहर बरपाया जा रहा है। यद्यपि सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों के संग्रह में प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकारों को स्थापित करने की आवाज दबा दी गई है, तीसरी दुनिया की गरीब महिलाओं को इन अधिकारों के हकदारों के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। उनके प्रजनन की क्रियाओं के बारे में यही दावा किया जाता है कि उनके पास इस बारे में थोड़ा ही ज्ञान है और उनके बस में भी नहीं है, अतः उनके फायदे के लिए इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। इस अंतर्राष्ट्रीय नज़रिए को दक्षिण के कई सरकारों को जन्मों पर अंकुश लादने हेतु दर्दनाक माध्यमों को अपनाने के लिए उकसाया जा रहा है। यह सब कुछ गर्भनिरोधक इंजेक्शन और खाने की हारमोंस खुराकों के तौर पर दिया जा रहा है, बिना इस बात की चिंता किये कि इससे उनके स्वास्थ्य पर इसका कैसा असर पड़ेगा तथा उपयोग के बाद की निगरानी और उन स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने की व्यवस्था की अनदेखी की जा रही है, जो इनके उपयोग से उठ खड़ी होंगी।

इस आधुनिक दुनिया में प्रजनन उम्र की अधिकतर महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भनिरोधक की अंतर्राष्ट्रीय जरूरत को जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकाए जाने की अनुचित जरूरत के तौर पर ग्राहक जुटाए जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अनुदान और कर्ज के लेन–देन और यहां तक कि ढांचागत समायोजन के साथ भी इसे जोड़ दिया गया है, जिसके फलस्वरूप इसका असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर ही तो पड़ेगा। जो महिलाएं आर्थिक रूप से उत्पादक क्षमताएं रखती हैं, वे इससे तभी सुरक्षित रह पायेंगी जब वे बाजार के व्यापक स्वार्थों में अपना हाथ बंटा पायी हों, न कि अपने और समाज की बेहतरी के लिए। उनके खरीदने की हैसियत अगर बढ़ पाई तो, वे बेहतर स्वास्थ्य को खरीद सकेंगी। लेकिन, वास्तव में अगर देखा जाए तो अधिकतर महिलाएं बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख को खरीद पाने में असक्षम ही होंगी।

## सिफारिशें

***जिन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को ढांचागत समायोजन में बांध दिया गया, वहां........***

(अ) मलेरिया, निमोनिया, तपेदिक, डायरिया, खसरा और शिस्तोसोमासिस शार्तिया बढ़े हैं, जैसे : अफ्रीका देश, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया में।

(ब) ढांचागत तौर पर समायोजित देशों में शिशुओं के मौत की दर बढ़ी है।

(स) महिलाओं और बच्चों के पोषण का स्तर गिरा है और खाने की खुराक में कमी आई है। महिलाओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित कराने की मान्यता के लिए दो बुनियादी बातों की जरूरत होगी : 1. गरीबी और सामाजिक अन्यायों पर चहुमुखी आक्रमण और 2. महिलाओं के इर्द–गिर्द बुनियादी सेवाओं और द्वितीय तथा तृतीय सहयोग सेवाएं विकसित करने के लिए बिना किसी अवस्था को छोड़े, महिलाओं के स्वास्थ्य की जरूरत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना और उनका वर्गीकरण करना।

- ❑ यह मान्यता देना कि प्रजनन स्वास्थ्य की संभावनाओं को फैलाने से पहले प्रजनन उम्र की अधिकतर महिलाओं के लिए विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के गठित पैकेज के तौर पर अच्छी गुणवत्ता के मातृत्व और बच्चा जनने से जुड़ी सेवाएं जरूरी हों।
- ❑ यह मान्यता देना कि पहुंच बनाना एक जटिल मुद्दा है, जोकि आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक कारणों से जुड़ा है, न कि सिर्फ सेवाओं की मौजूदगी से जुड़ा और जिससे उसी अनुरूप निपटा जाना चाहिए।

- यह मान्यता देना कि महिलाओं का गिरा स्वास्थ्य मौजूदा सामाजिक आर्थिक ढांचे में अधीनस्थ हैसियत की वजह से है और इस ढांचे को और पुख्ता करने और बिना नरम रखने से तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका और गहरा असर पड़ेगा।
- यह मान्यता देना कि तीसरी दुनिया की महिलाएं समझती है कि उनके पुनर्जनन अधिकार क्या है और जन्म नियंत्रण को थोपने की नीतियां इन राज्यों में नहीं डाली जानी चाहिए, क्योंकि उनका लक्ष्य महिलाओं पर ही केन्द्रित है।
- यह मान्यता देना कि मानसिक स्वास्थ्य पितृसत्तात्मक समाज की देन है, जोकि आर्थिक मायने में काफी दबावपूर्ण है, खासकर महिलाओं के लिए। अतः मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं और उनके उपचार विश्लेषण तकनीकों में ही निहित नहीं है, बल्कि गरीबी और महिलाओं के पक्ष की बदलती सामाजिक व्यवस्था गें हैं।
- यह स्वीकार करना कि अमीर राष्ट्रों के उपभोग पैटर्नों से गरीब खासकर महिलाएं, स्वास्थ्य की जरूरतों से उपेक्षित हुई हैं।
- उन महिलाओं की बेहतर स्वास्थ्य की दशा सुनिश्चित करना, जो कम मजदूरी और ज्यादा स्वास्थ्य के जोखिमों के साथ असंगठित क्षेत्र में काम के लिए तेजी से धकेली जा रही हैं।
- विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुनिश्चित कराना, जिसमें इन सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच पर जोर देना, यह बात दिमाग में रखते हुए कि कमी और वित्तीय दबावों की दशाओं में सबसे पहले महिलाएं ही हाशिए पर आती हैं।
- यह सुनिश्चित करना कि जब ऐसी महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चिंता पूरी तरह से संबोधित हो जाए, तभी व्यापार और उदारीकरण जैसी नीतियों को प्रोत्साहित करें।
- विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के तौर पर मलेरिया, तपेदिक, वगैरह जैसी सभी फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम और उसके उपचार को सुनिश्चित करना।

**बुनियादी स्वास्थ्य का आधार मुहैया कराना, जैसे :**

(अ) सभी महिलाओं को आजीविका, रोजगार, पूंजी सुनिश्चित कराना, जिससे उनके लिए खुद के खाने के स्रोतों और राजसत्ता के वितरण प्रणाली के जरिए खाने की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

(ब) जोखिमपूर्ण उद्योगों के कारण फैलने वाले प्रदूषण से उनके पेयजल और स्वच्छ हवा की सुरक्षा।

(स) साफ–सफाई की सुविधाएं, जिससे बीमारियों के कीटाणुओं से स्रोत कम होते हैं।

- दुनिया के उन 13 अरब लोगों के समुचित स्वास्थ्य की जरूरतों को समुचित रूप से संबोधित करना, जो पूरी तरह से गरीबी में जी रहे हैं, जिनमें 70% तो महिलाएं ही हैं।
- ऐसे सुरक्षित गर्भनिरोधकों को प्रोत्साहित करना, जिनका लक्ष्य महिलाएं नहीं हैं। वे गर्भनिरोधक जो जोखिमपूर्ण हैं, उनपर नैतिक आधार पर तो निगरानी रखी ही जानी चाहिए और महिलाओं को उनके पड़ने वाले गलत प्रभावों से बचाया जाना चाहिए।
- इस बात पर बल देना कि महिलाओं के स्वास्थ्य की ऐसी दशा उनके घर, समुदाय और समाज में उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सच्चाईयों से उपजा है और इन्हें अलग–अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए।
- बुनियादी रोकथाम और उपचार सेवाओं को मुहैया कराने में राजसत्ता की जिम्मेदारी पर जोर डालना (विकासशील देशों में जिसे अनदेखा किया जा रहा है, जबकि यू.एस.ए. और फ्रांस में इसे बढ़ावा दिया गया है)।

# शिक्षा तक पहुंच में गैर-बराबरी और अपर्याप्त अवसर

## आलोचना

शिक्षा की धारा (पैरा 56 से 70 तक) को "पहुंच में गैर–बराबरी......" के नजरिए से देखा गया है। इसमें गरीबी, असमानता और पक्षपात को शिक्षा के निचले स्तर के साथ जोड़कर नहीं रखा गया है।

शिक्षा के दिशा–निर्देश का सिद्धांत बाजारू विश्व चित्रण को ही स्पष्ट रूप से झलकाता है और शिक्षा शास्त्र को बदलने की जरूरत, और वे संकल्पनाएं, नीतियां और चलन, जिनसे ये निर्देशित होते हैं, उन्हें उभारकर नहीं रखा गया है। उदाहरण के लिए शिक्षा को टेक्नालॉजी दुनिया के लिए महिलाओं को कुशल बनाने के मायने में उनकी तैयारी के तौर पर विचार किया गया है।

शिक्षा विकास की दिशा में एकजुट करने के प्रयासों की कुंजी है। इसे महिलाओं के रोजमर्रा की हकीकतों से जुड़ा होना चाहिए और इस रूप में कि महिलाओं की इस तक पहुंच हो और जो उनके देशज ज्ञान का सम्मान भी करे। शिक्षण की विषय सूचियों की विधियों में संसाधनों की प्राथमिकता बनाना, पाठ्य–पुस्तकों को बदलना और वोकेशनल स्कूलों तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। लेकिन व्यापक पैमाने पर शिक्षा देने की की विधियों में गुणवत्ता पर कोई समझौता किये बिना शिक्षा तक पहुंच और निरक्षरता की ऐतिहासिक संचित कार्य के बीच की दूरी को ध्यान रखकर चलना बेहद जरूरी है।

## सिफारिशें

### क्या कदम उठाए जाएं ?

शिक्षा को विकास के अन्य पहलुओं की तरह प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- शिक्षा शास्त्र और शिक्षा की सामग्री महिलाओं, उनकी अपनी स्थितियों, राजनैतिक और आर्थिक मुद्दों, सरकारी, मानवाधिकारों पर गहरी समझ बनाने में सहूलियत पहुंचाने के लिए होनी चाहिए, ताकि महिलाओं समेत समाज का उपेक्षित तबका अपने जीवन पर अधिक से अधिक नियंत्रण जमा सके।
- नीति निर्माताओं, प्रशासकों, सरकारी अधिकारियों, कानून लागू कराने वाली एजेंसियों, नियोक्ताओं एवं सेना में जेंडर संवेदनशीलता एवं जागरूकता बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि यह विभिनन क्षेत्रों के कार्यों की मुख्यधारा में आ सकें।
- शिक्षण प्रक्रियाओं के विकेन्द्रीकरण और प्रजातांत्रिकरण में राजसत्ता को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटकर इसे बाजार के सुपुर्द नहीं कर देना चाहिए। शिक्षा प्रक्रियाओं को शक्तिशाली बनाने में गैर–सरकारी संगठनों, महिला समूहों और जनसमूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- शिक्षा की व्यापक योजनाओं में महिलाओं के उस देशज ज्ञान को जोड़ा जाना चाहिए, जिसके बल पर वे ऐतिहासिक तौर पर अपने अधिकारों और पहचान के लिए लड़ने में सक्षम हुई हैं और इसे ज्ञान के नये–नये सोपनों की जानकारी देने में उपयोग में लाया जाना चाहिए और लोगों पर वैज्ञानिक शोध का जोर होना चाहिए।
- झगड़े और लड़ाई की परिस्थितियों में महिलाओं और बालिकाओं तक शिक्षा पहुंचाई जानी चाहिए। राजनैतिक हैसियत और पहचान के बिना शरणार्थियों के तौर पर महिलाओं को काफी दर्द और चोटें सहनी पड़ी हैं। शैक्षणिक प्रक्रियाओं को सामूहिक राजनैतिक कार्यवाही की दिशा में शुरू कराये जाने की जरूरत है।
- मीडिया को महिलाओं की सशक्तता बढ़ाने में पर्याप्त ढंग से उपयोग में लाना होगा। जन संचार माध्यम चूंकि लाभ की प्रेरणा पर आधारित है, इसलिए इसने हमेशा से पितृसत्तात्मक और बाजार उन्मुखी मूल्यों को ही बराबर तैयार किया है और उसे पुख्ता किया है। इसे गंभीरता पूर्वक अपने नजरियों को पुनः उदीयमान करना चाहिए और गंभीर चिंताओं को संबोधित करना चाहिए।

# महिला : बंदोबस्त और विकास

## आलोचना

इस दस्तावेज में बंदोबस्त की संकल्पना पूरी तरह से गायब है। विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर इसमें महिला और संभावना की संकल्पना को नहीं समझा गया है। यह पाया गया है कि महिला और बंदोबस्त के मुद्दे पर घर के अधिकार के आंदोलन को समुचित ढंग से कभी भी नहीं संबोधित किया गया न ही लैंगिक प्रश्न को ही केन्द्र में लाया गया है। हमारा मानना है कि सामाजिक विकास (1995), महिलाओं (1995) और मानव बंदोबस्त (1996) पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों से महिला और बंदोबस्त के मुद्दे को समग्र तरीके से संबोधित करने का एक बड़ा अवसर हाथ लगा है। अतः यह जरूरी है कि विभिन्न धाराओं के काम करने वाली महिला शोधकर्ता और कार्यकर्ता इन मुद्दों पर और करीब आयें।

## सिफारिशें

बंदोबस्त की शब्दावली को शहरों और गांव की गरीब महिलाओं और समुदायों तथा घर, जमीन, पानी, प्राकृतिक संसाधनों और आजीविकाओं और सामुदायिक स्तर पर एवं स्थानीय शासन में निर्णय लेने की चिंताओं को शामिल करने के लिए परिभाषित किया जाना जरूरी है। वे लोग जो इन मुद्दों पर महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उन्हें मील के कई पत्थरों को पार करना होगा।

जो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले अपने काम में महिलाओं की मौजूदा स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। तब उन्हें एक ऐसी प्रक्रिया निकालनी होगी, जो महिलाओं की मौजूदा स्थिति–जहां उनकी सहभागिता न के बराबर है या बढ़िया हुई तो किनारे पर–को ऐसे स्तर पर ले आना, जहां वे केन्द्रीय सहभागी बन सकें और विकासीय प्रक्रिया की मध्यस्थ बनें। साथ ही उन्हें ऐसी विधियों को खोजना होगा और ऐसे ढांचे खड़े करने होंगे, जिनसे इन प्रक्रियाओं की सशक्तता की चिरंतरता सुनिश्चित हो सके।

- ❑ गांव के संदर्भ में रहन–सहन/बंदोबस्त के मुद्दों को व्यक्त करने की आकस्मिक जरूरत है। देहाती क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों, आजीविकाओं और बंदोबस्त के बीच बड़ा गहरा संबंध है। ग्रामीण समुदायों के पलायन, पुनर्वास और विस्थापन के प्रतिकूल प्रभावों में इन पहलुओं पर गौर करना जरूरी है।
- ❑ जैसा कि आज, शहरी गरीबों के लिए कोई विस्तृत योजना नहीं है। जमीन, खाना, काम और बुनियादी साधनों की सुरक्षा के अभाव का महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ता है।
- ❑ नीति निर्माताओं और समुदाय द्वारा महिलाओं के निष्कासन, विध्वंस और अपने जीवन को नये सिरे से निर्मित करने की उनकी क्षमता को अन्यथा लिया जाता है।
- ❑ रोजमर्रा की असुरक्षा से लड़ते–लड़ते महिलाएं तो पहले की त्रस्त हो चुकी हैं; उस पर ढांचागत समायोजन कार्यक्रम लाद देने से उनकी स्थिति और बदतर हो गई, इसी के चलते महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बढ़ रही है।
- ❑ रहन–सहन और बंदोबस्त के मुद्दों पर समुदाय, खासकर महिलाओं की सहभागिता को कानूनी आधार की बेहद जरूरत है।
- ❑ महिलाओं को उन नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के साथ जोड़ने के लिए नये ढांचों और विधियों को इसमें सुविधा के लिए तैयार करना जरूरी है, जो उनके अपने जीवन पर असर डालते है।

# हिंसा, अशांत परिस्थितियों (सशस्त्र तथा अन्य) के दौरान महिलाओं की स्थिति एवं महिलाओं का मानवाधिकार।

## आलोचना

1. हिंसा के वक्तव्य में मुख्यत : घरेलू हिंसा को ही केन्द्र में रखा गया है। इसमें हिरासत में रखी गई महिलाओं के साथ हिंसा को नकार दिया गया है, जिनकी प्रकृति सुधारक/दंडनीय, रोग निवारक (जैसे उन लोगों के लिए जो मानसिक रोगी या अपंग हैं) हो सकती है और उन लोगों के साथ हिंसा जो सुरक्षा की दृष्टि से हिरासत में रखी जाती है।
   घरेलू हिंसा की तरह इन महिलाओं का जीवन स्तर और शोषण अदृश्यमान और अमान्य बना रहता है।
2. विस्थापन, बड़े पैमाने के विकासीय कार्यक्रमों, स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीतियों की घुसपैठ से महिलाओं पर होने वाली हिंसा, ये सभी कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा राजसत्ता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलीभगत करके प्रोत्साहित किये जा रहे हैं, जिससे बाजारू अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण को सुविधा और सहूलियतें पहुंचाई जा सकें। बलपूर्वक विस्थापन, आवास का छिनना, अजीविका, सामुदायिक सहयोग व्यवस्था के हास से उपजी हिंसा को न तो कोई मान्यता दी गई है और न ही उन्हें दूर करने के उपाय किये गए हैं।
3. यौन पर्यटनवाद को छेड़छाड़ और वेश्यावृत्ति के बढ़ते कारणों के तौर पर पहचाने जाने की जरूरत है।
4. जातिवाद, साम्प्रदायिकता और कट्टरवाद के परिणाम के तौर पर उपेक्षित और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाएं जो मानसिक और शारीरिक हिंसा झेलती हैं, उसे मान्यता दिये जाने की जरूरत है।

### महिलाओं पर सशस्त्र या अन्य तरह के झगड़ों के प्रभावों की आलोचना

आज महिलाओं पर सैन्य या अन्य तरह के झगड़ों के प्रभावों को मान्यता दिये जाने की जरूरत है, चाहे इसकी कैसी भी प्रकृति क्यों न हो। यह शारीरिक या यौन हिंसा के रूप में, विस्थापन, सामुदायिक सहयोग व्यवस्था के बिखरने के तौर पर या फिर सांस्कृतिक और सामाजिक अधीनता के मायने में हो सकती है।

### महिलाओं के मानवाधिकारों पर आलोचना

अलग संदर्भों में महिलाओं के उन खास समूहों के विस्तृत विवरणों को कोई मान्यता नहीं दी गई, जिसे महिलाओं ने प्रकारों और प्राथमिकताओं की भिन्नता की जानकारी के लिए अपने मानवाधिकारों में संलग्न किया था। इन्हीं जरूरतों की श्रेणी के तौर पर महिलाओं को सहभागी बनाना महिलाओं के खास समूहों की विभिन्न जरूरतों की छूट हो सकती थी, जिनमें संस्थानों, उपेक्षित और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाएं, अन्य श्रेणियों में गैर शरणार्थी की हैसियत से विस्थापित महिलाएं शामिल है।

## सिफारिशें

**रणनैतिक लक्ष्य और इन पर क्या कार्यवाही की जाए :**

**1. हिंसा**

(अ) यौन–पर्यटनवाद अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनाई जानी चाहिए।

(ब) हिरासत संबंधी संस्थानों में गैर–सरकारी संगठनों के भ्रमण और वहां की महिलाओं के बीच काम करने के रास्ते प्रशस्त किये जाने चाहिए। सभी प्रकार के हिरासत संबंधित संस्थानों में महिलाओं की दशाओं और उनके स्तर पर आंकड़े एकत्रित किये जाने चाहिए। इन महिलाओं को मानवाधिकारों और प्रतिष्ठा की न्यूनतम गांरटी सुनिश्चित कराई जानी चाहिए, जैसे वोट का अधिकार, काम का अधिकार, इन संस्थाओं में उनके श्रम के योगदान के बदले वेतन का अधिकार।

(स) विकासीय कार्यक्रमों और अन्य नीतियों को उन महिलाओं के साथ सलाह–मशविरा करके ही निर्धारित किया जाना चाहिए, जिनका इन पर असर पड़ने जा रहा है। महिलाओं पर ऐसे कार्यक्रमों और नीतियों के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाना चाहिए।

## 2. झगड़े

जिन महिलाओं को झगड़े की परिस्थितियों में जोर–जबरदस्ती से विस्थापित किया जाता है, उन्हें अपने आप ही शरणार्थी की हैसियत दे दी जानी चाहिए, जिससे वे यू.एन.एच.आर.सी. तथा अन्य निकायों से बुनियादी हक के दावे कर सकें। अपील की एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मंच गठित किया जाना चाहिए, जहां इन अनुभवों को मान्यता दी जाए, बुनियादी अधिकारों की गांरटी हो और साथ ही ऐसी विधि तैयार की जाए जिससे झगड़े के दौरान सुलह के लिए उनसे सलाह–मशविरा किया जा सके।

## 3. मानवाधिकार

उन हर देशों को, जिन्होंने सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. का अनुमोदन किया है, उन्हें अपने देश के भीतर मानवाधिकारों को न्यायसंगत बनाना चाहिए। सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू कमेटी के गैर–सरकारी संगठनों की रिपोर्ट को सीधे स्वीकार करना चाहिए और इसे सरकारी रिपोर्टों के सवाल के आधार के तौर पर उपयोग में लाना चाहिए। सरकार को उन विधियों को रखना चाहिए, जिसके जरिए महिलाओं के खास समूहों की जरूरतों की आवाज बुलंद हो और वे व्यक्त की जा सकें, ताकि वे ऐसी किसी नीति या कार्यक्रम की जानकारी देने में सक्षम हों, जिनका महिलाओं पर असर पड़ता है।

# महिला और राजनीति

**सभी स्तरों पर महिलाओं और पुरूषों की शक्ति के बंटवारे और निर्णय लेने में बराबरी**

**महिलाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सभी स्तरों पर समुचित क्रियाविधियां**

## आलोचना

प्रजातंत्र का अनुभव तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि सीमांतक तबकों के लोग, जिनमें महिलाएं शामिल हैं, राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था की शक्तियों से परे बने हुए हैं। आज हमारे समाज के बहुसंख्यक लोगों, अधिकतर उपेक्षितों की राजनैतिक और सामाजिक ढांचों तक काफी कम पहुंच है। इसके फलस्वरूप उनके हाशिए पर आने की गति और बढ़ गई है।

प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के प्रारूप में इस गतिशीलता पर पर्याप्त ढंग से ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। इसके अलावा, इसमें बस उद्देश्य की बात कही गई है, कार्यवाही पर कुछ नहीं कहा गया है। अतः सुझाए गये किसी भी उपाय को क्रियान्वयन की ईकाईयों की निश्चित सीमाअवधि में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

***सभी स्तरों पर शक्ति के बंटवारे और निर्णय लेने में महिलाओं की सहभागिता और उनकी पहुंच में असमानता से निपटने की धारा में निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाना जरूरी है :***

"महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता" की शब्दावली को पुनः परिभाषित किया जाना जरूरी है, क्योंकि जनता की समझ में यह चुनावी राजनीति में ही सहभागिता के संकेत हैं। इस शब्दावली में उन सभी सहभागिताओं को शामिल किया जाना चाहिए जिससे आंदोलनों, संगठनों, सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तरों तक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समूहों समेत नीति मूल्यांकन, निर्णय निर्माण पर प्रभाव पड़ते हैं, निर्णय लिये जाते हैं, उनका उल्लंघन होता है।

राजनैतिक क्षेत्रों में महिलाओं के प्रवेश के लिए कई सरकारों ने आरक्षण और कोटे के जरिए संभावनाएं मुहैया कराने के प्रयास किये हैं। ऐसी सकारात्मक कार्यवाईयों की बेहद जरूरत है, इस कारण से कि समाज और सरकार दिन पर दिन पितृसत्तात्मक ढांचों में रूपांतरित होते जा रहे हैं। लेकिन महिलाओं के आरक्षण की गिनती से ही राजनैतिक माहौल में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। परिवर्तन तभी आयेगा, जब महिलाएं अपने समुदायों और जेंडर के प्रतिनिधियों के तौर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी समझ और अपने अनुभवों को रखेंगी।

आमतौर पर ऐसी मान्यता हो चली है कि हर समाज में महिलाएं एक महत्वपूर्ण राजनैतिक कार्यक्षेत्र हैं। लेकिन मौजूदा पितृसत्तात्मक ढांचे द्वारा अक्सर उनसे हथिया लिया जाता है। अतः यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि महिलाएं राजनैतिक कार्यक्षेत्र के इस कुएं से अब जरा बाहर आयें और अपने कार्यक्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए अपनी जगह बनायें।

हमारे क्षेत्र की राजनीति में हिंसा, अपराधीकरण, कट्टरवादिता बड़ी चिंता के मुद्दे हैं। इनका महिलाओं के जीवन पर सीधा असर पड़ता है। ये समाज के भीतर अपने नेतृत्व को मानते हुए महिलाओं के सामने सबसे बड़ी बाधा पहुंचाने के तौर पर शिरकत करते हैं। अतः आज एक स्वस्थ माहौल बनाये जाने की बेहद जरूरत है।

चूंकि हमारे क्षेत्र का समाज काफी जटिल है, ये चूंकि वर्ग और समुदाय के आधार पर बंटे हुए हैं, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इन विभिन्न समूहों की जरूरतों को सामाजिक राजनैतिक तौर पर व्यक्त किया जाये। यह तभी संभव है, जब सभी स्तरों पर निर्णयों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। उदाहरण के लिए, देशज समूहों, अल्पसंख्यक समूहों तथा अन्य सीमांतक तबकों की महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिलाकर सशक्त बनाया जाये।

समूह के तौर पर महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और ढांचागत समायोजन की नीतियों का सबसे ज्यादा कहर झेल रही हैं। इन नीतियों के फलस्वरूप व्यापक पैमाने पर विस्थापन हुआ है, प्राकृतिक संसाधन लुप्त हुए हैं और इसी के चलते ही बेरोजगारी और अल्प रोजगार दोनों को बढ़ावा मिला है। यही वह प्रक्रिया है, जिसके जरिए महिलाओं का थोड़ा सा ही नियंत्रण बचा है, यद्यपि उन्हें

इससे उपजे वीभत्स परिणामों को भी झलना पड़ा है। राजनैतिक तौर पर उन्हें सशक्त बनाने से उन्हें ऐसी नीतियों पर अपने विचार रखने में मदद मिलेगी और उन्हें अपनी स्थिति पर ज्यादा नियंत्रण रख पाने में भी मदद मिलेगी।

खाने, चारे और पानी की अंतहीन खोज को अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया ने और बढ़ा दिया, जिसका महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ा और उन पर काम का बोझ बढ़ा और जिससे उनके पास राजनैतिक सहभागिता के लिए थोड़ा ही समय, थोड़ी ऊर्जा और थोड़ा रूझान ही बच पाया। महिलाओं को राजनैतिक तौर पर सशक्त बनाने के प्रयास सहयोगी ढांचों को मुहैया कराने के लिए होना चाहिए।

प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के प्रारूप को आगे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की विशिष्टता को स्वीकारना और मान्यता देना चाहिए। इस क्षेत्र में कई देशों के ढांचागत समायोजन कार्यक्रम के प्रभावों से महिलाएं जो पहले ही गरीब थीं, अब और दरिद्र बनती जा रही हैं। अतः जब तक कि गरीबी दूर नहीं की जाती, उनकी आजीविका सुनिश्चित नहीं की जाती चिंरतर विकास नहीं किया जाता, तब तक महिलाओं की समग्र राजनैतिक सशक्तता को हासिल नहीं किया जा सकता है।

इस दस्तावेज में कर्ज मुक्ति, सैंप और मानव विकास के निवेश की जरूरत के मुद्दों को इंगित करते वक्त दक्षिण एशियाई क्षेत्रों का विशेष रूप से ब्यौरा होना चाहिए।

शांति राजनैतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता की एक पूर्व शर्त है। चूंकि महिलाएं ही झगड़े की स्थिति की पहली शिकार होती हैं, अतः हमारे क्षेत्रों में बेकार की शस्त्र होड़ और बेवजह सैन्यीकरण बड़ी चिंता के कारण हैं। इसलिए महिलाओं की राजनैतिक सशक्ता और सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी समान सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए शांति की दिशा में काम करना बेहद जरूरी है।

## सिफारिशें

- प्रत्येक कार्यवाही में सभी क्षेत्रों में और सभी स्तरों पर महिलाओं की पूरी/समान सहभागिता के अभाव को संबोधित किया जाना चाहिए।
- परिवारों के प्रोत्साहन के जरिए निर्णय लेने में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की रणनीतियों को स्वीकारा जाना चाहिए। ऐसा खासकर इसलिए, क्योंकि दुनिया भर में महिलाओं की ज्यादा तादाद परिवारों में ही समाहित हैं। इन रणनीतियों का लक्ष्य परिवार होना चाहिए, जिससे महिलाओं को परिवारों से अधिक से अधिक सहयोग पाने में मदद मिल सके।
- महिलाओं की सक्रिय राजनैतिक सशक्तता के लिए समुचित सहयोग के ढांचों को खड़ा किया जाना चाहिए।
- देशज समुदायों, प्रजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा दूसरे सीमांतक तबकों की महिलाओं का निर्णय लेने के सभी स्तरों पर समुचित प्रतिनिधित्व मुहैया कराने के विशेष उपाय किये जाने चाहिए।
- महिलाओं की राजनैतिक सशक्तता के एक हिस्से के तौर पर चुनावी राजनीति के अलावा जन–आंदोलनों, जन–संघर्षों तथा अन्य राजनैतिक कार्यवाही में मान्यता दी जानी चाहिए।
- महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सक्षम, अनुरूप और शांतिपूर्ण माहौल खड़ा करने की जरूरत है।
- महिलाओं की पूरी और समान सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनके स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक चिंताओं को संबोधित किया जाना चाहिए।
- महिलाओं को सकारात्मक ढंग से उभारकर रखने और उनके राजनैतिक कार्यवाही की उपलब्धियों को उभारने के लिए मीडिया पर छाप छोड़ने की जरूरत है।
- संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि सन् 1995 तक संसद, विधानमंडलों, नौकरशाही, न्यायपालिका तथा दूसरे निजी और सार्वजनिक ईकाईयों में उनकी 30 प्रतिशत तक सहभागिता होगी, जिसे एहसास किया जाना चाहिए।

# महिला और जन-संचार माध्यम

**समाज में महिलाओं के सकारात्मक योगदान को प्रोत्साहन देने में जन संचार माध्यमों का अपर्याप्त गठबंधन**

## आलोचना

आज का युग मीडिया के प्रभाव में है। लोग कैसे समझते हैं, सोचते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, उसका निर्धारण मीडिया के हाथों में है। पिछले दो दशकों में बहुराष्ट्रीय मीडिया ने अपने सेटेलाइट संचार टेक्नालॉजी के जरिए दुनिया में अपने विकराल पैरों के निशान छोड़े हैं। एक ओर इस नई टेक्नालॉजी ने दुनिया भर के लोगों के बीच संप्रेषण का मार्ग प्रशस्त किया हैं, वही दूसरी ओर इसके काफी बुरे प्रभाव भी हुए हैं। इनसे उन मूल्यों को बढ़ावा मिला है और वे स्थाई हुए हैं, जोकि सांस्कृतिक पहचानों और जेंडर के आधार पर पक्षपातपूर्ण हैं। बहुत पहले से यह मान्यता बनती चली आ रही है कि विश्व जानकारी व्यवस्था गोलमोल तरह की है, क्योंकि जानकारी का प्रवाह दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों से शक्तिहीन देशों की ओर हो रहा है। विश्व सेटेलाइट व्यवस्था इससे कोई अछूता नहीं है।

चूंकि इन बड़े संचारों के विकास की प्रमुख प्रेरणा वाणिज्य है, अतः दुनिया भर की प्रवृति निजीकरण एवं वाणिज्यीकरण की तरफ है। विज्ञापन इन कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण घटक है। लोगों, खासकर महिलाओं, को इन कार्यक्रम और इन कार्यक्रमों के विज्ञापन के माल और सेवाओं के उपभोक्ताओं के तौर पर ही मुख्य रूप से देखा जाता है। प्रिंट और दूसरे मीडिया में भी यही देखने को मिलता है।

मीडिया द्वारा महिलाओं की छवि का निरंतर नकारात्मक प्रदर्शन, जोकि महिलाओं की विभिन्न भूमिकाओं और उनके मूल्यों की सही तस्वीर नहीं उभारता है, उसे ठीक किए जाने की बेहद जरूरत है। महिलाओं की मीडिया छवियां उनके जीवन पर एक खास तरह से असर डालती है, क्योंकि ये उनके ढर्रे की छवियों को फैलाता है और स्थाई बनाता है और महिलाएं अपने बारे में जिस तरह से सोचती हैं, उस पर भी असर डालता है। मीडिया द्वारा बनाई छवियां नीति निर्माताओं के रवैये पर असर डालता है, जिससे महिलाओं की भूमिकाएं और योगदान और भी ज्यादा हाशिए पर आती जा रही हैं।

यौन (सैक्स) और हिंसा मीडिया–उन्मुखी जन–मनोरंजन का एक प्रमुख हिस्सा हो चला है। इससे लोगों के आचरण पर बड़े गंभीर प्रभाव पड़े हैं। मीडिया में प्रदर्शित छवियों से समाज में महिलाओं को जैसे देखा जाता है, उस पर तो कोई योगदान ही नहीं है, बल्कि इससे तो उनके खिलाफ हो रहे अपराध को बढ़ावा देने में ही इसका योगदान रहा है।

दुर्भाग्यवश, अधिकतर मीडिया संगठनों में निर्णय लेने के स्तर पर महिलाएं अभी भी हाशिए पर ही हैं। यह, इस तथ्य के बावजूद भी कि आज के संचार उद्योग में महिलाओं की काफी भीड़ जमा हुई है। एक तरीका है जिससे इसमें परिवर्तन हो सकता है, यदि महिलाएं एक–दूसरे को जानकारी के वैकल्पिक स्रोतों को मुहैया कराने एवं एक दूसरे तक पहुंच बनाने के लिए आधुनिक संचार का अधिक से अधिक उपयोग करें। इससे जिस तरह मीडिया महिलाओं को प्रदर्शित करता है, उसे बदलने में महिलाओं की योग्यता भी साबित होगी।

## सिफारिशें

1. *मीडिया का अंतर्राष्ट्रीकरण*

- ❑ यह सुनिश्चित करना कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सीमाओं के बाहर जानकारी, ज्ञान और मनोरंजन मुहैया कराते वक्त स्थानीय संस्कृतियों और मूल्यों को बर्बादी के गर्त में न झोंके। यह देखना कि इससे सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं और पुरूषों के बीच समानता को बढ़ावा मिल रहा है या नहीं। यह मांग करना कि उनके कार्यक्रम मनोरंजन के अलावा ज्ञान और जानकारी दोनों मुहैया करायें।

**क्या कार्यवाही की जाए ?**

- ❑ सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समूहों को मीडिया पर नजर रखने वाले ऐसे समूह स्थापित करने चाहिए, जो यह

सुनिश्चित के लिए सेटेलाइट की छवियों की निगरानी करें कि ये अन्य सांस्कृतिक और मूल्यों की व्यवस्थाओं के प्रति संवेदनशील हैं और महिलाओं की चिंताओं को प्रदर्शित करते हैं।

- मुख्य धारा और वैकल्पिक मीडिया के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर महिलाओं को जोड़ने के प्रयासों को मजबूत करना, जिससे वे मीडिया में जेंडर, पर्यावरण और विकास के मुद्दों को दर्शाने में अपने अनुभव, ज्ञान और रणनीतियों का आपस में आदान–प्रदान कर सकें।

2. *जन–संचार माध्यमों में महिलाओं के सकारात्मक तस्वीर को बढ़ावा देना*

महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित मुख्यधारा के मीडिया के वर्तमान रूख को बदलना। जन–मीडिया के सभी रूपों में महिलाओं के जेंडर ढर्रें को बदलना सुनिश्चित करना। यह देखना कि महिलाओं की परंपरागत और देशज मीडिया समेत संचार टेक्नालॉजी के सभी तौर तरीकों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच हो गई है, ताकि वे उत्पन्न करने वालों और उत्पादकों की हैसियत में आ सकें, न कि मीडिया संदेशों को बस ग्रहण करने वालों और उपभोक्ताओं के तौर पर ही बनी रहें।

**क्या कार्यवाही की जाए ?**

(जैसा कि रणनैतिक लक्ष्य पहले ही बताये जा चुके हैं, उसके अलावा)

- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर महिला और उपभोक्ता समूहों के मीडिया की निगरानी के प्रयासों को समर्थन दें और उनकी खोजों के आधार पर सुधार के तुरंत प्रयास करें।
- खासतौर पर युवाओं के बीच मीडिया–जागरूकता, प्रशिक्षण का प्रचार–प्रसार करें, जिससे मीडिया संदेशों के विचारशील उपभोक्ताओं के श्रोता आधार का निर्माण हो सके।
- जेंडर–संवेदनशील मीडिया के कार्यक्रमों (सोफ्टवेयर) को खड़ा करने के लिए मीडिया निर्माताओं को प्रोत्साहन और छूट दें और स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों की ऐसी सामग्रियों का आदान–प्रदान करने के लिए साधन मुहैया कराएं।

3. *मीडिया तक पहुंच बनाने और उसमें रोजगार पाने को लोकतंत्रीय बनाना और मीडिया संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं और सीमांतक समूहों की सहभागिता।*

**क्या कार्यवाही की जाए ?**

- व्यापारिक और राजनैतिक स्वार्थों के जन संचार माध्यमों पर एकाधिकार को तोड़ने के लिए मलकियत के दूसरे साधनों को खोजना, जैसे सहकारिता, और उपाय करना।
- समाचार कक्ष और उत्पादन कार्यालयों में प्रतिनिधित्व में समानता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को लक्ष्य के तौर पर किराये पर लेने हेतू मीडिया घरानों को प्रोत्साहित करना।
- यह सुनिश्चित करें कि जिससे महिलाएं जरूरी प्रशिक्षण और उज्जवल भविष्य के अवसरों के साथ मीडिया घरानों में निर्णय लेने की हैसियत से बेहतर प्रतिनिधित्व में हों।

4. *यह सुनिश्चित करें कि मीडिया विकासीय चिंताओं को प्रदर्शित करता है और विकास में महिलाओं का योगदान है।*

**क्या कार्यवाही की जाए ?**

- मीडिया को विदेशी कर्ज, पर्यावरण, विज्ञान और प्रोद्योगिकी तथा चिंरतर विकास जैसे उन विकासीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि ये समाज के व्यापक स्तर को छूते हैं। उन्हें इन मुद्दों के जेंडर आयामों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित करें।
- संचार स्कूलों और अन्य पेशेवर समूहों में उपयोग के लिए विकास में महिला पर एक मॉड्यूल विकसित करें।
- विकास में महिला पर राष्ट्रीय क्रियाविधियां मीडिया के साथ घनिष्ट जुड़ाव बनाकर चलने चाहिए, पत्रकारों को जेंडर के प्रति जरूरी ऑरिएंटेशन मुहैया कराना चाहिए, जिसके साथ वे विकासीय मुद्दों पर विचार कर सकें और उनका विश्लेषण भी।

# महिलाओं के जीवन और उनकी जरूरतों के प्रति विज्ञान और प्रौद्योगिकी को और ज्यादा संवेदशील बनाएं।

## आलोचना

कई मामलों में बड़े पैमाने के टेक्नालॉजी प्रेरित विकास से महिलाओं का विस्थापन हुआ है और वे शक्तिहीनता के गर्त में जा गिरी हैं, क्योंकि उन्हें आजीविका के वैकल्पिक साधन भी तो नहीं मुहैया कराये गये।

विज्ञान और टेकनालॉजी के अब तक के प्रयासों में महिलाओं की समस्याओं और उनके व्यावसायिक जोखिमों पर पर्याप्त रूप से रोशनी नहीं डाली गई हैं।

नीति के स्तर पर, कुछ ही महिलाएं ऐसी हैं, जो वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल हुई हैं और इसमें उनके जुड़ाव की भी कई बाधाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों, नैरोबी प्लान ऑफ एक्शन समेत, कई स्तरों पर विरोध के बावजूद इसे बदलने की इच्छा और इसके फॉलोअप करने की कार्यवाही की गति अभी काफी धीमी है।

## सिफारिशें

यह स्वीकारें कि कृषि चलनों, खाद्यान्नों के भंडारण, जड़ी–बूटी की औषधियों और स्वास्थ्य देखरेख चलन के परम्परागत ज्ञान गरीब और ग्रामीण महिलाओं के पास हैं। इन व्यवस्थाओं की सुरक्षा करने, बढ़ाने और प्रोत्साहित करने की नीतियों और रणनीतियों की आज बेहद जरूरत है, इस तरह कि जिससे उन महिलाओं और समुदायों को इसका लाभ मिल सके जहां से ये ज्ञान उभरे हैं। यह सब कुछ सामुदायिक बीज बैंकों के गठन के प्रोत्साहन और पशु एवं पौध के वर्गीकरण के प्रोत्साहन और साथ ही कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा आजीविका की जरूरतों को पूरा करने की परम्परागत और नये चलनों पर दस्तावेजों को प्रोत्साहित करके किया जा सकता है।

सरकार को उन किसानों को लाभांश देना चाहिए जो परिस्थितिकीय तौर पर चिरंतर विकल्पों को लेकर चल रहे हैं, जैसे कम्पोस्ट और जल से पैदावार। जैसा कि हमारे देश में 85% महिलाओं की श्रमशक्ति गांवों में रहती हैं, उन्हें भी किसान के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए और यह कि जब किसी नीति पर निर्णय लिया जा रहा हो, तब उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे मामले खासतौर पर उन नीतियों के लिए होने चाहिए, जहां इन नीतियों का प्रभाव भूमिहीन कृषि श्रमिकों, जिसमें महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है, के खाने की सुरक्षा पर पड़ता हो। भूमि सुधारों को जमीन की मलकियत में महिलाओं को फायदा पहुंचाने के लिए होना चाहिए।

इसके लिए उनका आह्वान टैक्नालॉजी प्रतिष्ठानों की तरफ से पारदर्शी और जन–जवाबदेही को लेकर है, ताकि उनके काम को समझा जा सके और महिलाओं पर उनके पड़ने वाले प्रभावों का मूलयांकन हो।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों पर महिलाओं के देशज ज्ञान को मान्यता देना, उन्हें पुर्नस्थापित करना और उसका निर्माण करना।

महिलाओं की वैज्ञानिक शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। चयन, विकास और निर्णय लेने के मसलों में वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों को महिलाओं के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए।